न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 40 / 2024(GCMS 2024/153)

(आरटीआई संख्या 212976380985356)

श्री लालचन्द पुत्र श्री गणेशाराम निवासी गांव बीरमाना तहसील सूरतगढ़ वाया श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर पिन–335704 (मोबाईल नम्बर 93522–67613)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी लालचन्द स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी लालचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.06. 2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनु–उपखण्ड कार्यालय विभाग क्रमांक प.10(1)प्र.सु / सम / अनु–1 / 2012 दिनांक 01.06.2023 के परिपत्र के द्वारा राजकार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में निर्देशित किया गया है कि समस्त विभागों / कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की एक ही स्थान पर पदस्थापन अवधि 03 वर्ष व विशिष्ट प्रकृति / आवश्यकतानुसार 05 वर्ष से जो अधिकारी व कर्मचारी बैठे है। लोकल कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व [illegible] व सिंचाई विभाग श्रीविजयनगर व सिंचाई विभाग सूरतगढ़ व [illegible] सूरतगढ़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़, तहसील कार्यालय सूरतगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों के किये गये तबादलों की सूची (प्रमाणित प्रति)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)( )स्था. / 24 / 3029 दिनांक 10.07.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरेक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

चाही गई सूचना	उत्तर
राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनु–उपखण्ड कार्यालय विभाग क्रमांक प.10(1)प्र. सु / सम / अनु–1 / 2012 दिनांक 01.06.2023 के परिपत्र के द्वारा राजकार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में निर्देशित किया गया है कि समस्त विभागों / कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की एक ही स्थान पर पदस्थापन अवधि 03 वर्ष व विशिष्ट प्रकृति / आवश्यकतानुसार 05 वर्ष से जो अधिकारी व कर्मचारी बैठ है। लोकल कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व सूरतगढ व सिंचाई विभाग श्रीविजयनगर व सिंचाई विभाग सूरतगढ़ व उपखण्ड कार्यालय सूरतगढ, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़, तहसील कार्यालय सूरतगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों के किये गये तबादलों की सूची (प्रमाणित प्रति)	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियन्त्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या सूचना की व्याख्या करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11 / 2 / 2008–आईआर दिनांक 10. 07.2008 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री में से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गये निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। सूचना मांगने की आड में लोक प्राधिकारी से कानून एवं नियमों पर उसकी राय जानना सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कवर नहीं होता है। (सी.ई.सी. / एटी. / ए / 2006 / 00154 दिनांक 03.11.2006) आर.के.मिर्ग बनाम गृह मंत्रालय) [illegible] के अनुसरण में आपके आवेदन [illegible] चाही गयी सूचना से संबंधित आपका प्रार्थना पत्र [illegible] 11.06.2024 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगगंगानगर

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद [illegible]मील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.1[illegible]24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर